Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) पशु प्रबन्ध शाखा, नगर निगम जयपुर के द्वारा डॉ. योगेश शर्मा व डॉ० राकेश कलोरिया के लिए 4,00,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 16 फरवरी 2026, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) पशु प्रबन्ध शाखा, नगर निगम जयपुर को डॉ० योगेश शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय व डॉ० राकेश कलोरिया पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम नगर निगम जयपुर** के लिए **4,00,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर ईकाई को एक लिखित शिकायत इस आशय की मिली कि जयपुर शहर में आवारा कुत्तों के नसबंदी एवं टीकाकरण के लिए आमंत्रित निविदाओं में परिवादी को टेण्डर मिला, जिस पर परिवादी द्वारा टेण्डर का कार्य पूर्ण किया जाकर बिल बनाकर नगर निगम हैरिटेज कार्यालय में पेश करने के उपरान्त टेण्डर की शर्तो के अनुसार कुत्तों से निकाले गये UTERUS एवं TESTICLES की गणना नगर निगम हैरिटेज के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ योगेश शर्मा नहीं कर रहा है तथा गणना एवं बिल फॉरवर्ड करने की ऐवज में सभी बकाया बिलों के 12 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा नगर निगम ग्रेटर में परिवादी द्वारा कुत्तों की नसबंदी एवं टीकारण के किये गये कार्यों के माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 के बिल बनाकर नगर निगम ग्रेटर पेश करने के उपरान्त भी कुत्तों से निकाले गये UTERUS एवं TESTICLES की गणना पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राकेश कालोरिया द्वारा नहीं करने तथा बिलों को फॉरवर्ड करने के लिए 2 लाख रूपये प्रति माह कुल 04 लाख रूपये तथा 01 जनवरी 2026 से 3.50 लाख रूपये प्रति माह के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही है। दोनों पशु चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यालय के कर्मचारी जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से रिश्वत प्राप्त करना चाह रहे हैं।

जिस पर **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र** के नेतृत्व में रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने पर दोनों पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुल **15 लाख रूपये** की मांग करना पाया गया। जिस पर आज मय ट्रेप टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी जितेन्द्र सिंह, जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) पशु प्रबन्ध शाखा, नगर निगम जयपुर को डॉ० योगेश शर्मा व डॉ० राकेश कलोरिया पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए परिवादी से 4,00,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया साथ ही ब्यूरो के अन्य टीमों द्वारा डिटेन शुदा आरोपीगण डॉ० योगेश शर्मा व डॉ० राकेश कलोरिया पशु चिकित्सा अधिकारियों को बाद पूछताछ प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में एवं एसीबी के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सत्येन्द्र कुमार** के निर्देशन में आरोपीगणों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।